जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम
स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना लागू

जयपुर, 16 मार्च। विद्युत उपभोक्ताओं को निरन्तर विद्युत आपूर्ति, गुणवत्ता में वृद्धि एवं बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने *स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना* 30 अप्रेल, 2018 तक लागू की है।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि ***स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा*** के तहत समस्त श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता जिनका विद्युत भार स्वीकृत से अधिक है, ऐसे उपभोक्ता अपने बढे हुए भार को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में 30 अप्रेल तक आवेदन कर सामान्य दरों पर नियमित करवा सकते हैं। इसके साथ ही **श्रेणी परिवर्तन घोषणा** के तहत उपभोक्ता जिन्होंने घरेलू श्रेणी में कनेक्शन लिए है और विभिन्न कारणों से अघरेलू श्रेणी में विद्युत का उपभोग कर रहें हैं, ऐसे समस्त उपभोक्ता भी 30 अप्रेल तक स्वैच्छिक श्रेणी परिवर्तन की घोषणा कर घरेलू कनेक्शन को अघरेलू श्रेणी में सामान्य दरों पर नियमित करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत 30 अप्रेल, 2018 तक स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन की घोषणा करने पर सतर्कता जांच नही की जाएगी। ऐसे उपभोक्ता जिनके खिलाफ स्वीकृत से अधिक भार का उपयोग करने अथवा घरेलू श्रेणी से अघरेलू में उपभोग करने के सतर्कता जांच प्रतिवेदन लम्बित है, ऐसे लम्बित सतर्कता जांच प्रकरणों में 30 जून, 2018 तक जुर्माना राशि नही ली जाएगी और ऐसे प्रकरणों का निस्तारण भी स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना के अनुरुप सामान्य दरों पर किया जा सकेगा।

कृषि उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को सतर्कता जांच से होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए उनके सतर्कता जांच प्रकरणों के एकमुश्त निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि के लिए जयपुर डिस्कॉम द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार 30 जून, 2018 तक कृषि कनेक्शनों के नियमित उपभोक्ताओं की समस्त लम्बित वीसीआर का मूल निर्धारण राशि कम्पाउण्डिंग व सिविल लाईबिलिटी की 10 प्रतिशत राशि जमा कराने पर एकमुश्त निस्तारण कर दिया जाएगा।

कृषि उपभोक्ता अपने बढे हुए भार की 30 अप्रेल, 2018 तक स्वैच्छिक घोषणा कर उसको नियमित करवा सकते है। योजना के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर बढ़े हुए भार को नियमित करवा सकते है और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नही हुआ है उनको बढे हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितिकरण शुल्क भी जमा कराना होगा। नए कृषि कनेक्शन जारी करते समय ट्रांसफार्मर पर मीटर बॉक्स की वैल्डिंग एवं ट्रांसफार्मर पर समुचित एव आवश्यकता अनुसार जीओ/डीओ फ्यूज लिंक यूनिट लगाया जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 719/2018